



ENGINEERING COLLEGE, AJMER

(An Autonomous Institute of Govt. of Rajasthan)

Barliya Choraha National Highway No. - 8, Ajmer

www.ecajmer.ac.in

0145 - 2971024

अमअ/संस्थापन/2023/76

दिनांक 18.07.23

कार्यालय आदेश

महाविद्यालय का नवीन सत्र 2023-2024 प्रारम्भ हो गया है तथा सत्र 2023-2024 में नये छात्र-छात्राओं के प्रवेश प्रक्रिया भी प्रारम्भ हो गई है ।

प्रायः यह देखने में आया है कि कई कार्मिक महाविद्यालय के निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होते हैं और न ही उपस्थित पंजिका में हस्ताक्षर करते हैं, कई कार्मिक अवकाश पर जाने से पूर्व में अपने संबंधित विभागाध्यक्ष अथवा सैक्शन इंचार्ज को सूचित नहीं करते हैं, जिससे महाविद्यालय का राजकीय कार्य एवं महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं के अध्ययन कार्य तथा महाविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों पर भी विपरीत प्रभाव पडता है ।

अतः महाविद्यालय के समस्त कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि:-

- (1) महाविद्यालय के समस्त कार्मिक अवकाश पर जाने से पूर्व उचित माध्यम द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को आवश्यक रूप से अवकाश का प्रार्थना पत्र प्रेषित करें, साथ ही उपार्जित अवकाश नियमानुसार पूर्व में उचित माध्यम द्वारा प्रेषित करें, अवकाश अनुमोदित होने के पश्चात ही अवकाश का उपभोग करें ।
- (2) समस्त कार्मिक महाविद्यालय के अपने निर्धारित समय पर उपस्थित होकर, उपस्थित पंजिका में हस्ताक्षर करे, अन्यथा उस दिन जो कार्मिक देरी से आया है, उसके हस्ताक्षर उपस्थित पंजिका में नहीं करवाये जायेगे और अनुपस्थिति दर्ज कर तथा राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं कार्मिक की ही होगी ।


प्राचार्य

प्रतिलिपि निम्न को पालनार्थ (वेबसाईट द्वारा)

अमअ/2023/755-760

- 1 समस्त विभागाध्यक्षों एवं प्रभारी अधिकारियों को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करे ।
- 2 उप कुलसचिव (वित्त) को सूचनार्थ
- 3 कुलसचिव, को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ।
- 4 समस्त कार्मिकों को परिचालन द्वारा आवश्यक रूप से पालनार्थ हेतु प्रेषित है ।
- 5 संस्थापनशाखा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
- 6 रक्षक पत्रावली


प्राचार्य